



Tyger Tyger, Burning Bright, In The Forests Of The Night

‘Seeing’ a tiger is not a sighting as it is commonly and wrongfully called, but an experience you feel deep in the pit of your belly, you will know what I mean

World Cancer Day

Observed every year on February 4, World Cancer Day aims to unite the world in the fight against cancer

भारत-अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा करने को मजबूर हो गए थे ट्रंप?

ट्रंप ने महसूस कर लिया था कि अन्य देशों (यूरोपियन यूनियन) के युद्ध के लिए भारत को दण्ड देना हास्यास्पद बात है, क्योंकि वो देश (यूरोपियन यूनियन) स्वयं तो भारत से “फ्री ट्रेड डील” कर रहे हैं

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 3 फरवरी। अगर दो बड़े देशों के बीच कोई व्यापार समझौता राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच एक फोन कॉल के तुरंत बाद घोषित किया जा सकता है, तो ऐसे समझौते को ज्यादा से ज्यादा “नकली” ही कहा जा सकता है।

या फिर यह भी संभव है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का पर्याप्त आधार पहले से मौजूद था, जिसे राजनीतिक या भू-आर्थिक कारणों से रोका गया था। अगर कुछ कहना हो, तो यह कहा जा सकता है कि टैरिफ और बहिष्कार की ट्रम्प की धमकियों के सामने भारत के न झुकने के रूख ने शायद आखिरकार ट्रम्प को अपना रुख बदलने पर मजबूर कर दिया होगा।
(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अतः ट्रंप ने स्वयंमेव, रूस से ऑयल खरीदने पर भारत पर लगाई 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा वापस ली।
- ट्रंप की इस घोषणा के बाद, प्र.मंत्री के समक्ष और कोई विकल्प नहीं रह गया, इसके अलावा कि वे इस “फ्री ट्रेड डील” का स्वागत करते।
- ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस ट्रेड डील के बाद, भारत-रूस से ऑयल खरीदना बंद कर देगा और वेनेजुएला से ही ऑयल खरीदेगा। यह भी एक हास्यास्पद दावा है।
- भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल का खरीददार है और वेनेजुएला इस स्थिति में ही नहीं है कि अगर वो अपना पूरा ऑयल भी बेचे तो भी भारत की जरूरत पूरी नहीं कर पाएगा।
- इसके अलावा, ट्रंप का यह दावा भी अव्यवहारिक है कि भारत बिना किसी टैरिफ के अमेरिकी माल को भारत में आने की सुविधा देगा, पर, अमेरिका भारत के निर्यात पर कम से कम 18 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। इन शर्तों पर कोई देश व्यापार करना स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इस शर्त से तो उस देश का अपनी “सोवरेन्टी” (सर्वभूमिकता) का सौदा करना माना जाएगा।

आज सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हो सकती हैं ममता बनर्जी

एसआईआर पर दायर ममता बनर्जी की याचिका पर आज सुनवाई की संभावना

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 3 फरवरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और वृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होने की संभावना है। सुत्रों के अनुसार, वे राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेसिव रिविजन-एसआईआर) को चुनौती देने वाली अपनी याचिका की सुनवाई के सिलसिले में अदालत में उपस्थित होंगी।
सुत्रों ने बताया कि ममता बनर्जी की याचिका को भारत निर्वाचन आयोग (इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया-ईसीआई) के खिलाफ दायर उन अन्य याचिकाओं के साथ सुना जा सकता है, जिनमें राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा शाखा ने उनके आने के लिए कथित तौर पर अनुमति दे दी है। ममता बनर्जी जैड प्लस श्रेणी की

- प.बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका में एसआईआर की वैधता पर सवाल उठाया है। उनकी याचिका को एसआईआर के खिलाफ दायर अन्य याचिकाओं के साथ संलग्न किया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट की कम्यूटराइज़्ड कॉज लिस्ट में यह केस पहले 6 फरवरी के लिए रजिस्टर्ड दिख रहा था, पर मंगलवार को यह 4 फरवरी के लिए रजिस्टर्ड नज़र आ रहा था।

सुरक्षा प्राप्त नेता है।
सुत्रों के मुताबिक, यह प्रकरण बुधवार को सूचीबद्ध किया गया है। ममता बनर्जी बनाम निर्वाचन आयोग शीर्षक वाला यह मामला 4 फरवरी की कंप्यूटरीकृत कॉज लिस्ट में दिखाई दे रहा है। दो दिन पहले, यह मामला 6 फरवरी की सूची में दर्शाया गया था।
ममता बनर्जी ने 28 जनवरी को अपनी याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों

मध्यप्रदेश राजस्थान को 30 हजार ईवीएम लोन पर देगा

जयपुर, 03 फरवरी। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अब छत्तीसगढ़ , जम्मू-कश्मीर, सिक्किम और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में भी जिम्मेदारी निभाएगा। इससे देश को ईवीएम खरीद में लगभग 1000 से 1500 करोड़ रुपए की बचत होगी।

- आज, 03 फरवरी, 2026 को जयपुर, राजस्थान में आयोजित
- दोनों राज्यों के निर्वाचन आयोग में एमओयू हुआ, राजस्थान तीन करोड़ का भुगतान करेगा।

कार्यक्रम में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को 30,000 कंट्रोल यूनिट और 60,000 बैलेट यूनिट चार माह की अवधि के लिए लोन बेस पर उपलब्ध कराने का एम.ओ.यू. संपादित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आईसीसी के खिलाफ पाक क्रिकेट बोर्ड को झटका

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 3 फरवरी। भारत के खिलाफ 15 फ़रवरी को होने वाले हाई-प्रोफाइल वर्ल्ड कप मैच के बहिष्कार के अपने फैसले के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने कई अन्य सदस्य बोर्डों से संपर्क किया।
लेकिन नतीजे निराशाजनक रहे। एक भी क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के

- 15 फरवरी से शुरू हो रहे विश्व कप में भारत के खिलाफ समर्थन जुटाने की पाक क्रिकेट बोर्ड की मुहिम को अन्य देशों ने ठुकरा दिया है।

रुख का समर्थन नहीं किया। पाकिस्तान सरकार द्वारा सोशल मीडिया के जरिये सार्वजनिक घोषणा किए जाने के बावजूद, पीसीबी ने अब तक इस बहिष्कार को लेकर इंटरनैशनल क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) से औपचारिक रूप से संपर्क तक नहीं किया है।
आधिकारिक संवाद की इस कमी ने पीसीबी को और ज्यादा अलग-थलग कर दिया है और वह उस क्रिकेट समुदाय से और दूर होता जा रहा है, जिस पर उसका अस्तित्व निर्भर करता है।
(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘ भारत-अमेरिका ट्रेड डील का जश्न मनाना अभी जल्दबाज़ी होगी ’

दिल्ली के थिंक टैंक, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने चेतावनी दी

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 3 फरवरी। दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई), जिसे नीति निर्माता और व्यापार विशेषज्ञ गंभीरता से लेते हैं, ने आगह किया है कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर जश्न मनाना जल्दबाज़ी होगी। जीटीआरआई का मानना ​​है कि यदि बातचीत में शामिल शर्तों पर सावधानीपूर्वक मोलभाव नहीं किया गया, तो वे भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

जीटीआरआई ने इन वार्ताओं से जुड़े कुछ प्रमुख दावों पर सवाल उठाए हैं। उसका कहना है कि “ज़ीरो टैरिफ” या भारत द्वारा अमेरिका से 500 अरब डॉलर के सामान की खरीद जैसी बातें अब तक सत्यापित नहीं हुई हैं और कुछ मामलों में बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई हैं। थिंक टैंक ने चेतावनी दी है कि किसी

- थिंक टैंक का कहना है कि डील में ज़ीरो टैरिफ और भारत द्वारा अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदने के जो दावे किए जा रहे हैं उनकी पुष्टि नहीं हुई है।

- थिंक टैंक ने कहा, अक्सर जब डील के कानूनी पहलुओं को परखा जाता है तो ट्रेड एग्रीमेंट्स का रूप ही बदल जाता है।

- थिंक टैंक ने चेतावनी दी, अमेरिका एकतरफा डील करता रहा है, जिसमें वह ताकतवर स्थिति में होता है तथा सामने वाले पक्ष को दबाकर टैरिफ से स्थायी छूट प्राप्त कर लेता है. पर, खुद अपने बाज़ार में माल बेचने के लिए दूसरे देशों पर शर्तें लगाता है, यही नहीं, इसे पलटने का प्रावधान तक रखता है।

- थिंक टैंक ने कृषि सेंक्टर को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि अमेरिकी कृषि व डेयरी उत्पाद आने से भारतीय किसानों को भारी नुकसान हो सकता है।

भी समझौते का जश्न उसके सूक्ष्म प्रावधान सामने आने से पहले नहीं

मनाया जाना चाहिए, क्योंकि कानूनी दायित्वों की जाँच के बाद व्यापार

- राहुल गांधी ने संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, ट्रेड डील का मुख्य कारण था, अडानी के खिलाफ अमेरिका के कोर्ट में चल रहा केस तथा एपस्टीन फाइल्स में कई और शर्मनाक तथ्य शीघ्र उजागर होने वाले हैं।

- राहुल, अपनी पीठ इसलिए भी थपथपा रहे हैं कि जब विपक्ष का कोई नेता प्र.मंत्री मोदी का सामना करने की हिम्मत नहीं दिखा रहा, वे (राहुल गांधी) प्र.मंत्री पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भारत-अमेरिका “ट्रेड डील” में उन्होंने देश के हितों को तिलांजलि दे दी है।

चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जनरल नरवणे से जुड़ा मुद्दा तो केवल एक साइड शो है, असली मुद्दा अमेरिका-भारत व्यापार समझौता है, जिस पर बोलने की उन्हें अनुमति नहीं दी गई।
उन्होंने कहा कि इस पूरे दबाव की जड़ अमेरिका की अदालत में अडानी के खिलाफ चल रहा मामला है। राहुल ने कहा कि निशाने पर अडानी नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, और असली निशाना उनका वह वित्तीय तंत्र है, जिसे अडानी संभालते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा

एपस्टीन फाइल्स का है, जिसमें आगे और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं।
राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर पूछा है कि उन्हें बोलने की अनुमति क्यों नहीं दी गई, खासकर तब, जब उन्होंने पत्रिका में छपे लेख को प्रमाणित किया है।
उन्होंने इसे लोकतंत्र पर एक धब्बा बताया और कहा कि यह पहला अवसर है जब विपक्ष के नेता को सदन में बोलने से रोका गया है।
(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के नए मु.मंत्री

इंफाल, 03 फरवरी। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में खेमचंद सिंह नए सीएम होंगे। मंगलवार को मणिपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में

- मणिपुर में भारी हिंसा के बाद 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उसके बाद अब जाकर नए मुख्यमंत्री का चयन हुआ है।

युमनाम खेमचंद सिंह को नेता चुना गया।
इस बैठक में पूर्व सीएम एन बोरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रभारियों की मौजूदगी में नेता का चुनाव किया गया। गौरतलब हो कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में मैटैई-कुकी जातीय संघर्ष के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को पद छोड़ना पड़ा था। इसके बाद 13 फरवरी, 2025 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था।

‘ प्रदेश की छोटी-छोटी खदानों में ड्रोन सर्वे से पैनल्टी तय करना उचित कैसे? ’

राजस्थान स्मॉल माइंस होल्डर्स एसोसिएशन ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की

- यादवेन्द्र शर्मा -
जयपुर, 3 फरवरी (कासे)। प्रदेश की छोटी-छोटी खदानों में माइनर मिनरल जैसे बजरी, चेजा-पत्थर का खनन करने वाले लीजधारकों पर ड्रोन सर्वे और जिओ टैगिंग की अनिवार्यता थोपने का विरोध शुरू हो गया है। राजस्थान स्मॉल माइंस होल्डर्स एसोसिएशन ने इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 24 अक्टूबर 2024 को संशोधित खनन नियमों को चुनौती दी गई है। इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए मंगलवार को जस्टिस अनूप सिंघी की एकलपीठ ने राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने इस संवेदनशील प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए 6 मार्च तय की है। याचिका में

- जस्टिस अनूप सिंघी की एकलपीठ ने राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए इस प्रकरण की सुनवाई 6 मार्च तय की है।
- याचिकाकर्ता के वकील, अश्विनी चौबीसा ने दलील दी कि, कर्नाटक में भी इसी तरह ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे के आधार पर खनन पर पैनल्टी लगाना शुरू किया गया था, जिससे कानूनी पेचीदगियां बढ़ गयीं, क्योंकि यह वैज्ञानिक तरीका नहीं है। बाद में कर्नाटक सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अश्विनी चौबीसा ने हाईकोर्ट को बताया कि पूर्व में खनन पट्टों का सीमांकन फीते और कंपास के आधार पर किया जाता था। परंतु वर्ष 2017 में खनन नियमों में संशोधन करते हुए ड्रोन सर्वे को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत प्रत्येक पट्टा धारक के लिए प्रतिवर्ष ड्रोन सर्वे रिपोर्ट पेश करवाना अब जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि यह मापदंड बड़े लीजधारकों के लिए उचित है, परंतु छोटे-छोटे लीज धारकों

अधिकारी नियुक्त करने का आदेश जारी किया है, लेकिन वास्तविक गणना प्रक्रिया अभी भी अस्पष्ट है।
उन्होंने अपनी याचिका में यह दलील दी है कि यह नियम-कायदे कोयले, सोना-चांदी, लोहा व अन्य बड़ी खनन गतिविधियों का मुआयना करने के लिए उचित है, परंतु इसे छोटे-छोटे खनन ब्लॉक और उनके व्यवसायों के लिए लागू करना अव्यवहारिक है। उन्होंने कहा कि नए नियमों के मुताबिक, छोटे लीजधारकों को कंक्रीट की बाउंड्री (सीमा) बनानी पड़ेगी, इस कारण उनका खनन क्षेत्र और भी छोटा हो जाएगा। साथ ही छोटी-छोटी बाउंड्रियां बनाई जाना भी संभव नहीं है, यह पूरी तरह अव्यवहारिक है।
उन्होंने कहा कि ड्रोन सर्वे की लागत अत्यधिक है, बिना किसी स्पष्ट

कोलकाता व पूर्वी भारत में भूकंप के झटके

कोलकाता, 03 फरवरी। कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के कई जिलों में मंगलवार शाम को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे आम लोगों में अफरा-तफरी मच गई। भूकंप के झटके इतने स्पष्ट थे कि

- भूकंप का केन्द्र म्यांमार में था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.0 नापी गई।

कई इलाकों में लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। फिलहाल किसी बड़े जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, भूकंप के झटके रात करीब 9:04 बजे महसूस किए गए।
कोलकाता के अलावा हावड़ा और हुगली जिलों में भी धरती कांपती हुई महसूस की गई। इतना ही नहीं, उत्तरी बंगाल के कई हिस्सों में भी भूकंप का असर देखा गया।